न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट,दौसा

पीठासीन अधिकारी – मोहरसिंह मीना (आरएएस)

– उपखण्ड अधिकारी, लालसोट

मुकदमा नम्बर – 05/17

दर्ज दिनांक :– – 24. 05. 2017

1. मोहनलाल काला पुत्र श्री कुम्भाराम माला आयु 65 वर्ष जाति बलाई निवासी ए–399 तारानगर झोटवाडां जिला जयपुर राज0

– प्रार्थी

बनाम्

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला–दौसा राज0

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट 1956
वास्ते अभिलेख शुद्धि

संक्षेप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मोहन लाल काला पुत्र श्री कुम्भाराम काला आयु 65 वर्ष जाति बलाई निवासी ए–399 तारा नगर झोटवाडा जिला जयपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रैवेन्यू एक्ट 1956 इस आशय का पेश किया कि ग्राम गुजरहेडा तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 123/1 रकबा 10 बीघा की पुख्ता तरमीम राजस्व विभाग के द्वारा पूर्व की गई थी। राजस्व एजेन्सी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के नक्शा ट्रेस में जो तरमीम की है व कब्जे के एकदम विपरित है। वर्तमान तरमीम जिस जगह कर रखी है उस स्थान पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थी जिस भूमि पर काबिज है नक्शा ट्रेस में उस भूमि की तरमीम नहीं हो रही है। प्रार्थी का वर्तमान में कब्जा काश्त दक्षिण दिशा की तरफ है जबकि राजस्व विभाग द्वारा प्रार्थी की तरमीम नक्शे में उत्तर दिशा की तरफ कायम कर दी है जो कब्जे के एकदम विपरित है। नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम की वजह से प्रार्थी काफी परेशान है। प्रार्थी ने कथन किया है कि गलत तरमीम के आधार प्रार्थी का सीमाज्ञान भी किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 123/1 रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम गुजरहेडा तहसील लालसोट की सही तरमीम कायम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम गुजरहेडा तहसील लालसोट के खसरा नम्बर 123/1 वर्तमान खसरा नम्बर 3 रकबा 10 बीघा (2.53 हैक्टे.) भूमि प्रार्थी मोहनलाल काला पुत्र श्री कुम्भाराम काला के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी की भूमि की तरमीम पूर्व से ही हो रही है किन्तु उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। प्रार्थी का कब्जा काश्त वर्तमान तरमीम से भिन्न दक्षिण दिशा में है। अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 123/1 रकबा 10 बीघा के वर्तमान खसरा नम्बर 3 रकबा 2.53 हैक्टे0 किस्म बारानी दर्ज रिकॉर्ड है जिसको बीघा–बिस्वा के नक्शे व एयर–हैक्टेयर के नक्शे में दर्शाया गया है जो प्रार्थी के वर्तमान कब्जे अनुसार नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। अप्रार्थी की रिपोर्ट/जवाब शामिल मिसल किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 123/1 रकबा 10 बीघा भूमि वाकै ग्राम गुजरहेडा के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के सैटलमेंट के बाद के खसरा नम्बर 3 रकबा 2.53 हैक्टै है। प्रार्थी पूर्व से ही जिस भूमि पर काबिज है नक्शे में उस भूमि की तरमीम कब्जे से भिन्न है। प्रार्थी का कब्जा दक्षिण दिशा में जबकि नक्शे में उत्तर दिशा में तरमीम हो रखी है जो विपरित एवं अशुद्ध है जिसे शुद्ध किया जाना कानून सही है। वकील प्रार्थी का कहना है कि सीमाज्ञान करवाने के दौरान जब प्रार्थी को गलत तरमीम का पता चला तो यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो नियम एवं विधि अनुसार सही है यदि प्रार्थी की भूमि की तरमीम दुरस्त नहीं की जाती है तो प्रार्थी को भारी असुविधा व समस्याओं का सामना करना पडेगा। प्रार्थी अपनी भूमि की तरमीम करवाने का कानून अधिकारी है जिसको अप्रार्थी द्वारा भी दुरस्त किया जाना उचित बताया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि की कब्जे अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने के आदेश फरमावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गौर फरमाया तथा पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् रिपोर्ट तहसीलदार लालसोट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने जिस खसरा नम्बर की भूमि का उल्लेख किया है जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की अभिधृति है। संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार उक्त खसरा नम्बर की तरमीम उत्तर दिशा में की हुई है जिसे सैटलमेन्ट बाद भी ऐसी ही दर्शाया गया है किन्तु प्रार्थी का कब्जा उत्तर दिशा में न होकर दक्षिण दिशा में है यह तथ्य संलग्न नक्शा ट्रेस वर्तमान से प्रूव है जिसे दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी की कब्जे की भूमि की तरमीम दुरस्त किये जाने के तथ्य को अप्रार्थी जो की भूमिधारी है, ने भी उचित बताया है। यह सही है कि अशुद्ध तरमीम को

दुरस्त किया जाना कानून न्यायोचित है एवं खातेदार का अधिकार भी है कि वो अपनी भूमि की नक्शे राजस्व में सही कब्जे अनुसार तरमीम करवाये बशर्ते वो न्यायिक परिसीमा में हो। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे अनुसार ही तरमीम दुरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है जो न्यायालय की राय में समीचीन प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उक्त विवेचनों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारवान रूप से विधि सम्मत साबित होने पर स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि साबिक खसरा नम्बर 123/1 रकबा 10 बीघा नया खसरा नम्बर 3 रकबा 2.53 हैक्टे0 वाकै ग्राम गुजरहेडा तहसील लालसोट की मुताबिक कब्जे अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे। तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्दर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/11/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर उभय पक्षों की मौजूदगी में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मोहर सिंह मीना (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट (राज०)